10 9/24 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता साथ उप०

वकील अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब व कापी के साथ दस्तावेज पेश किये। अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब पेश किया है कि वकील प्रार्थी ने गैरपरिवादित भूमि (औद्योगिक भूमि) से रास्ता चाहा गया है जो नियमानुसार देय नहीं है अतः प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी रिकॉर्ड हो आज ही एवं पारित सुनाया गया।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर